न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 21 / 2020

1 कैलाशचन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामनिवास पुत्र हरसहाय।
2 बाबूलाल पुत्र मूलाराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण जैतपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3 उप पंजियक नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
4 ग्राम पंचायत लादी का बास जरिये सरंपच ग्राम पंचायत लादी का बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्व निर्णय दिनांक 24.12.2019 न्यायालय सहायक कलेक्टर नीमकाथाना जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री साधूराम जाट आर.ए.एस. प्रार्थना पत्र सं. 412 / 2017 बउनवानी रामनिवास आदि बनाम कैलाश आदि प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नानूराम बुडानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 17.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 412/2017 में पारित निर्णय दिनांक 24.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जैतपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 3,15,16,47,17,19, 21,22,23,24,25,28,160,164,170,171,172,173, 176, 193, 203, 273, 274, 393 कुल किता 24 कुल रकबा 3.77 हैक्टेयर के वर्तमान खसरा नम्बर 16,17,173,177,178,18,184,185,186,187,19,190,20,208,219,22,23,24,25,26,29, 292,293,4,431 कुल किता 25 कुल रकबा 3.77 हैक्टेयर अवस्थित है उक्त कृषि भूमि में अपीलांट एवं अपीलांट की बहिन कमला देवी तथा अपीलांट की माता सुरजी देवी 1/21 हिस्सा की उत्तराधिकार से प्राप्त उक्त हिस्सा की राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार है परन्तु अपीलांट की माता का स्वर्गवास हो गया है जिस कारण सुरजी का 1/63 हिस्सा अपीलांट एवं अपीलांट की बहिन को उत्तराधिकार के कम में समान अंश में कृषि भूमि प्राप्त होने के करण अपीलांट एवं अपीलांट की बहिन का वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/21 हिस्सा संयुक्त रूप से है जिस पर निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से कब्जा है तथा इन्ही खसरा नम्बरान की कृषि भूमि में अपीलांट द्वारा 31/280 हिस्सा दिगर सहखातेदारान से कय करने के कारण अपीलांट उक्त हिस्से का एंकाकी खातेदारी काश्तकार व काबिज है परन्तु संख्या 1 व 2 के मन में बेईमानी आ गई, जिस कारण अपीलांट ने सर्वथा मिथ्या कथनों के आधार पर अपीलांट को गुल्लाराम का पुत्र बताकर सर्वथा मिथ्या दावा प्रस्तुत किया ओर कहा कि सुरजाराम अविवाहित था जिससे प्रतिवादी का कोई सम्बंध नहीं है परन्तु वह सुरजाराम का पुत्र बनकर कृषि भूमि जबरन कब्जा काश्त चाहता है। इसलिए

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सुरजाराम के नाम दर्ज हिस्से की खातेदारी में से वादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 को 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 11 ता 16 के 1/2 हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे इत्यादि। उक्त वादपत्र के साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। जिसे दिनांक 24.12.2019 को स्वीकार कर विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति के लिए पाबन्द किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नही किया है। मृतक सुरजाराम का वादग्रस्त कृषि भूमि में स्वीकृत रूप से 1/21 हिस्सा था, जो कि कुल रकबा 3.77 हैक्टेयर में से है तथा 3.77 हैक्टेयर का 1/21 हिस्सा मात्र 0.18 हैक्टेयर बनता है उक्त हिस्सा उत्तराधिकार में मृतक खातेदार सुरजाराम की पुत्री पत्नी व पुत्र को समान अंश में प्राप्त हुआ अर्थात 1/63 हिस्सा अपीलांट को प्राप्त हुआ जो कि मात्र 0.0600 हैक्टेयर बनता है तथा अपीलांट सुरजाराम के स्थान पर 1/63 हिस्सा पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा इन्ही कृषि भूमियों में अपीलांट ने 31/280 हिस्सा पूर्व में काबिज रिकार्डेड सहखातेदारान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करके कब्जा प्राप्त करके खातेदार दर्ज हुआ। उक्त 31/280 हिस्सा के सम्बंध में कोई विवाद नहीं था, परन्तु विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन तक नही किया ना ही दस्तावेजात का परीक्षण किया तथा अपीलांट को क्रय की गई भूमि के सम्बंध में भी रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति से प्रतिबंधित कर दिया। ऐसा कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी0 2003 (2) पेज 1267, आर.एल.डब्ल्यू 2013(1) आर.जे. पेज 436, आर.आर.टी0 2016 (2) पेज 1126 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि हरसहाय सुरजा व मूला 3 लड़के थे। सुरजा अविवाहित फौत हो गया जिसका फायदा उठाकर कैलाश पुत्र गुल्ला अपने नाम बिना विधिक आधार पर नाम करवाना चाहता है। गुल्ला की मृत्यु के बाद ग्यारसी सुरजा के पास आ गयी जिससे कैलाश व एक लड़की कमली पैदा हुई है। विधानसभा नीमकाथाना की भाग संख्या 119 वर्ष 1988 के परिवार संख्या 174 की कम संख्या 362 पर सुरजी/गुल्ला,365 पर कैलाश/गुल्ला दर्ज है। निर्वाचक नामावली वर्ष 2008 विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर की भाग संख्या 171 कमांक 55 पर सुरजी पत्नी गुल्ला आयु 75 वर्ष है। विचारण न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को विवेचित कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नही किया है। मृतक सुरजाराम का वादग्रस्त कृषि भूमि में स्वीकृत रूप से 1/21 हिस्सा था, जो कि कुल रकबा 3.77 हैक्टेयर में से है तथा 3.77 हैक्टेयर का 1/21 हिस्सा मात्र 0.18 हैक्टेयर बनता है उक्त हिस्सा उत्तराधिकार में मृतक खातेदार सुरजाराम की पुत्री पत्नी व पुत्र को समान अंश में प्राप्त हुआ अर्थात 1/63 हिस्सा अपीलांट को प्राप्त हुआ जो कि मात्र 0.0600 हैक्टेयर बनता है तथा अपीलांट सुरजाराम के स्थान पर 1/63 हिस्सा पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा इन्ही कृषि भूमियों में अपीलांट ने 31/280 हिस्सा पूर्व में काबिज रिकार्डेड सहखातेदारान से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय करके कब्जा प्राप्त करके खातेदार दर्ज हुआ। उक्त 31/280 हिस्सा के सम्बंध में कोई विवाद नहीं था, परन्तु विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन तक नही किया ना ही दस्तावेजात का परीक्षण किया तथा अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

को क्रय की गई भूमि के सम्बंध में भी रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति से प्रतिबंधित कर दिया। ऐसा कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि में अपीलांट द्वारा पंजिकृत विक्रय पत्र से क्रय किये गये हिस्से 31/280 के सन्दर्भ में कोई अनुतोष ही नही चाहा गया था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना सम्पूर्ण विवादित भूमि के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा में संशोधन किया जाकर अपीलांट द्वारा क्रय किये गये हिस्से 31/280 के सन्दर्भ में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश अपास्त किया जाता है शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर